

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**भारत रत्न स्व० श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति, चिकित्सा महाविद्यालय,**  
**राजनांदगाँव (छग)**  
Office Phone No. 07744-296104, Website : abvmgmcrainandgaon.ac.in  
Email : gmc.rjn@gmail.com

क्रमांक/चिकि./छात्र/2021/416

राजनांदगाँव, दिनांक : 25/01/2021

// आदेश //

छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 17-35/2020/9/पचपन-4, दिनांक 04-12-2020, व संचालक चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़, रायपुर का पत्र क्रमांक 9663, दिनांक 05-12-2020 एवं National Medical Commission द्वारा दिनांक 29 नवम्बर 2020 को जारी Guidelines for Re-Opening of Medical College Post Lockdown due to Covid-19 Pandemic के परिपालन में इस महाविद्यालय में नव प्रवेशित प्रथम एम.बी.बी.एस. (प्रवेशित बैच 2020-21) के छात्र-छात्राओं को आदेशित किया जाता है कि महाविद्यालय में नियमित कक्षाएँ निम्नानुसार प्रारंभ की जा रही है :-

S.No.	Admission Batch	College Reporting Date & College Roll No.		Classes Starting Date
		Reporting Date	Roll No.	
01	MBBS Batch 2020-21	30 <sup>th</sup> January 2021	01 to 42	8 <sup>th</sup> February 2021
		31 <sup>st</sup> January 2021	43 to 84	
		1 <sup>st</sup> February 2021	85 to 125	

**छात्र-छात्राओं हेतु विशेष निर्देश :-**

1. महाविद्यालय में छात्र-छात्राएं संलग्न सूची/उल्लेखित रोल नं. अनुसार उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
2. समस्त छात्र-छात्राएं अपने अभिभावकों के सहमति पत्र के साथ ही संस्थान में छात्रावास में अध्ययनरत् कार्य हेतु उपस्थित हों। इस हेतु सहमति पत्र का प्रारूप आदेश के साथ संलग्न है।
3. समस्त छात्र-छात्राएं अपने गृह निवास से कोविड टेस्ट (आर.टी.पी.सी.आर.) कराकर ही आवें। उक्त टेस्ट की तिथि आपके संस्थान में आगमन तिथि से 05 दिवस से पूर्व नहीं होनी चाहिये।
4. जिन छात्र-छात्राओं का कोविड परीक्षण रिपोर्ट निगेटिव है उन्हें ही संस्थान एवं छात्रावास में आने की अनुमति होगी।
5. कोविड निगेटिव रिपोर्ट के साथ आने पर छात्रावास में निवासरत् छात्रों का विधिवत् स्क्रीनिंग परीक्षण उपरांत ही छात्रावास में प्रवेश दिया जावेगा। तदोपरान्त 05 दिवस हेतु आपको अपने छात्रावास कक्ष में ही कोरेन्टाईन होना होगा। 5 दिवस की अवधि उपरान्त छात्रों का कोविड परीक्षण किया जावेगा एवं निगेटिव आपने पर ही कक्षाओं हेतु अनुमति प्रदान की जावेगी। विलंब से आने वाले छात्रों हेतु भी 05 दिवस का कोरेन्टाईन पश्चात् ही कोविड परीक्षण होगा।
6. कोविड-19 के संभावित लक्षण होने पर तत्काल निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क करेंगे :- डॉ. ओंकार प्रसाद कश्यप, मो.नं. 7587028685, डॉ. दिव्या साहू, मो.नं. 9826633100, डॉ. ताबिस एस. एम. अहमद, मो.नं. 9479027461, श्री एन रविकुमार, मो.नं. 9406266790 ।

क्रमशः,....

(2)

7. कोविड-19 के लक्षण होने पर संस्था द्वारा निर्धारित पृथक आईसोलेशन में रखा जावेगा तथा कोविड पॉजीटिव आने पर कोविड अस्पताल में ईलाज किया जावेगा। समस्त छात्र-छात्राएं संस्थान प्रांगण एवं अन्य स्थानों पर कोविड के रोकथाम हेतु दिये गये समस्त निर्देशों का पूर्णतः पालन करेंगे।
8. समस्त छात्र-छात्राएं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सेनेटाईजर का सदैव उपयोग करेंगे।
9. पुस्तकालय में प्रवेश केवल सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सेनेटाईजर उपलब्ध होने तथा निर्धारित संख्या के आधार पर ही दिया जावेगा।
10. किसी प्रकार के शैक्षिणोत्तर गतिविधियों जैसे-स्पोर्ट्स/सभा/गेदरिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
11. सभी छात्र-छात्राओं को आरोग्य सेतू ऐप अपने मोबाईल पर डाउनलोड करना होगा।
12. छात्र-छात्राओं को निर्देशित किया जाता है, कि अन्य छात्र-छात्राओं के वस्तुओं/कॉपी किताब इत्यादि का उपयोग न करें।
13. छात्र-छात्रा मेस में समय-सारणी के अनुरूप अपने कक्ष में भोजन ले जाकर करेंगे। समूह में मेस में प्रवेश निषेध रहेगा।
14. छात्र-छात्राएं द्वारा अन्य छात्र-छात्राओं के कमरे में प्रवेश करना वर्जित है।
15. छात्र-छात्राओं को ऑनलाईन भोजन ऑर्डर करने की अनुमति नहीं होगी, न ही महाविद्यालय परिसर छोड़ने की अनुमति होगी।
16. छात्रवास में केवल माता-पिता/अभिभावक को कोविड-19 स्क्रीनिंग के पश्चात् विजिटर के रूप में छात्रावास द्वारा पर प्रातः 8.00 बजे से सायं 7.00 बजे मिलने की अनुमति होगी।
17. सभी छात्रों को महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में कॉलेज पहचान पत्र पहनना अनिवार्य होगा।
18. सभी छात्रों को निर्देशित किया जाता है, कि कोविड-19 से बचाव हेतु केन्द्र शासन, राज्य शासन, एन0एम0सी0, यू0जी0सी0, डी0डी0यू0 रायपुर एवं डी0एम0ई0 रायपुर द्वारा दिये गये दिशा निर्देश का सदैव पालन करना होगा।
19. उक्त नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन करते पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जावेगा, एवं पुनः उल्लंघन करने पर छात्रावास एवं कक्षाओं से निष्काशित किया जावेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

अधिष्ठाता

भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति,  
चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगाँव  
(छत्तीसगढ़)

राजनांदगाँव, दिनांक :- 25/01/2021

पृ.क्रमांक/चिकि./छात्र/2021 / 417  
प्रतिलिपि :- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।

क्रमशः....

(3)

3. अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़, रायपुर।
5. कुलसचिव, पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
6. सर्व विभागाध्यक्ष, स्थानीय चिकित्सा महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, भारत रत्न स्व.श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय, राजनांदगाँव (छ.ग.)।
8. समस्त छात्रावास अधीक्षक, स्थानीय चिकित्सा महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. डॉ. अजय कोसम, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शिशुरोग व नोडल अधिकारी, कोविड-19 अस्पताल, स्थानीय चिकित्सा महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय ग्रंथालय, स्थानीय चिकित्सा महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. समस्त सूचना पटल- स्थानीय चिकित्सा महाविद्यालय/छात्रावास।

*(Signature)*  
25-1-2021

अधिष्ठाता

भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति,  
चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगाँव  
(छत्तीसगढ़)

